FORM-I (for linear projects) Government of H.P. Office of the District Collector



No. SML-SR (57)/2014 - 14 0 5.

### TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-81-46 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Sub-Divisional Officer (Civil) Rohru District Shimla for Construction of link road from Ghyan Raika via Kehral (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Jubbal in Tehsil.

#### It is further certified that:-

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried (a) out for the entire 0-81-46 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure is

the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under (b) section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to

the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture

(Rohan Chand Thakur) Distric\*

Signature (Full name and official seal of the District Collector)

28 39 6

ANNEXURE-IV

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMSSIONER, SHIMLA DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 09-03-2017 at 4.00 P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Village Chandpur, forest area(s) 0-81-46 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Rohru were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No. Name of Applicant

Name of Forest

Detail of forest Right

--Nil--

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No. Name of Applicant

Name of Forest

Detail of forest Right

--Nil-

OR

As informed by SDO (Civil) Rohru, no application was received from Gram Sabha claiming right in 0-81-46 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 09-03-2017

Deputy Commissioner-Cum- Chairman

v

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 09-03-2017 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur,IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussuion following decision were taken.

All the cases which were placed before the committee has been approved to be processed under FCA.

The meeting ended with vote of thanks.

Deo (ming)

AMIT ENARMANA

Hora

)

( Ingliti twatting)

(Z.P.) Anily

Deputy Commissioner-Cum-Chairman District Level Forest Right Committee Shimla District Shimla, H.P.

)

# 



Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right (Act (FRA) 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted:-

S.No Name of Applicant Name of Forest Detail of forest Right

1 Grandsha
2 Salaswati Magan
2 Der Block This Off-46 H-cl-Grhyan Ranka via Kehraf

Der Block This Off-46 H-cl-Grhyan Ranka via Kehraf

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No Name of Applicant Name of Forest Detail of forest Right

As informed by Grand Sabha on application was received claiming rights in Newscare forest area.

Place: Rolm Date: 22/21) Sport Division Shalanah Chairperson

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.



45)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) आधेनियम ,2008
Sarger of roma on
कार्यालय ग्राम पंचायत. अवस्ति राजर
विकास खण्ड प्राप्त जिला । अप्रिय (हि०प्र०)
प्रतिलिपि प्रस्ताव
अध्यक्षता श्री / श्रीमति डिजिया-पेंट दिनांक 24 12 281 प्रमापृति 936 / 1248 प्रस्ताव संख्या सिंग्टा
प्रस्ताव संख्या सि।टा
विषयः द्वान केहराल ग्राईका को विभाग/संस्था को का पर सरस्वती नगर
के निर्माण हेतू
१ मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतू।
गाम पंचायत स्थिन्बत नगर्य की बैठक आ
ग्राम पंचायत स्थानस्वत नगे हैं की बैठक आ दिनांक २५-12-2016 की ॥ वर्न बजे, स्थानस्वर्ग छो ५५ री में की गई, जिसमें नन किनाल विमाग स्वरंस
के अग्रेस के गई, जिसमें के निर्माण हेत
को <b>भ्यास के हराल</b> के निर्माण हेतू का बन्दिक जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित ०-६१-५८ हैक्टेयर व
र्भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।
सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पृ
तरह समझने के बाद सर्व सम्मित से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (व
अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी च
की गई तथा सर्व सम्मति से यह परित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत व
अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है त
प्रस्तावितहैक्टेयर वन भूमि को
है।
स्थान अप एवं विकास अधिकारी
दिनांक 24 12 20 1

रामुस्थित जानजाति और अन्य परम्यसागत दन निवासी (वन अधिकास की मान्यता) गाँव वन ,2006

वन अधिकार समिति एम्स समा च्या प्रमू

### प्रतिलिपि प्रस्ताव (2)

प्रश्ताव	परिश्वा	<b>J</b>
----------	---------	----------

विनांक 17 11 2016

यन अधिकार रामिति, याम स्था अने 111 2016 (नाइक्र की वैठक आज
विनांक हुन ।। 2016 को 11न्ज वर्ण, रहान निष्ठिए वे
भी/भी <del>गति अभिन्ति अभिन्ति भी अध्यक्षता में की गई जिसमें नाल अर्</del>
्राांव / गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्थरागत वर्न निवासियों ई
से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम है
.2008 को अन्तर्गरा अन्त्रिय वर्ष
'अधिकारों के दाये हेतू प्राप्त वादेदनों पर चर्चा का गई, जिस्तिकि ने कि हमान, राज्य), केटनारी
के निर्माण के लिए ७-81-46. हैवटेयर यन के उपयोग भूगि की मंजूरी प्रस्तावित ई
र्ष।

यन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुः दस्तावेजों के अध्यय्न तथा उस पर विस्तृत चर्चा है के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमिति के भिन्न का जिल्ला के लिए अधिकार हेतू दावा नियमानुसार सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। नदानुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उपरायण समिति को प्रेषित करती हैं।

रणन चेन्द्र हिं दिनांक कार्या 1201 ( प्राप्त पंचायत एवं विकास अधिकारी पात पंचायत एवं विकास अधिकारी

े प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम विस्तां विष्, इन (गंरवण) अधिनियम , 1580 के हाना के नन भूगे व उपयोग की अनुमाति दी जानी है।

> ग्राम पंचायत स्टान्ती स्टार विकास स्वण्ड जुञ्चल-कोट गर्ट

## वन अधिकार समिति देनी



ग्राम पंचायत में निर्मात तहसील निर्मा जिला शिमला (हि० प्र०)

विषय:-

जनजपतीय कबीलों जनजाती व यनो पर अधारित पारमंपरिक लोगों के (वन्य अधिकारों की पहचान ) अधिनियम 2006 के अर्न्तगत कमेटी का गठन करने बारे।

आज दिनांक 🔰 🕦 2016 को ग्रामीण स्तरीय वन अधिकार समिति 💛 🕻

की बैतक प्रिक्ति कि जिए की अध्यक्षता में रामन हुई जिसमें जनजातीय कबीलों Scheduled Tribes तथा अन्य पेशावर लोगों का जिनका पुश्तों से जंगल में अपनी अजीविका हेतू निर्वाह किया जा रहा है तथा जो जंगलों में पुश्तों से वसेरा कर रहे हैं के अधिकारों की पहचान वन अधिकार अधिनयम 2006 की धारा 6 (1) के तहत चर्चा की गई तथा एक कमेटी गठित की गई ताकि इन लोगों के अधिकारों की पहचान की जा सके व इसमें सरकार की विदिवत रवीकृति प्राप्त करवाई जा सके। उप ग्राम सभा द्वारा चयनित कमेटी के सदस्य का विवरण इस प्रकार से

13

क्रमांक	नाम/पिता का नाम	गांव	पदनाम	जाति	उपस्थित सदस्य के हस्ताक्षर
:	भी अम्ब कुणर	430	3184129	साम्भ्य	FRATIEN ACTION
2	o जगत्रात्र ।	यना यह	खता- अत्माक)	かっている	Jagazem!
3	" मीना विश्मा अ	4.54	स्रमः	رد ،	1000 mg
4	" मारी संगीत।	29/1	- יכ	,	Durfa.
5	अ कि बोर कुमार	केंद्रवान	"	"	HOSIR DON
6	" सपीन्दर (मिह	30129	"	7	Smalm
7	गड़ि रेन्द्रामि	a317	"	सामान्य	Themas
8	गमि कानाइमी	Zah	"	3/30 MIN	001-4/201
9	ण न्तरमा उनी	RAPE	,	"	Karl 200
10	MARI ATI	-1381		"	Keong

सर्व समाति हो यह प्रस्तान पासन किया गया है कि धो सड़क	5
तक प्रस्तावित है जिल्ने सक्त क्षेत्र के सभी लाभान्वि	त व्यक्तियो द्वारा कोई 🦠
आपति नहीं जताई गई है तथा उक्त सड़क के निमार्प से किसी भी व्यक्ति के वन अधिक	
है। अर्थ इस्ताव की प्रतिलिपी सम्यन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही ।	हेतू प्रेषित की जाती है।

41419

सम्बद्धः विद्यालयः विद्यालयः स्टब्स्यात् स्टब्स्यः सिन्दाः विद्यालाः (स्टब्स्यः

tel

प्रधात प्रभाव विशेष बन अशिकार समिति बनापूर साम वतावत बरस्वती मगर सावश क्रिया विश्वमा (विग्रंग)

of me not soul







विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रधान श्री हीरा नन्द

मो0: 98161.47753

सचिव श्री डी० डी० मूंगटा मो0 787072.06099

उप-प्रधान श्री रोहित रावत मो0 88944.86111

आज दिनांक, २५ 12 12 को ग्राम पंचायत सरस्वती नगर की मासिक बैठक /ग्राम सभा बैठक प्रधान/ उपप्रधान .की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लाई गई।

> प्रस्ताव संख्या .सात् निर्माठा बोड़ छ्यान राईका वाबा कैहराल का ॥ ०,० जान करने नारे चह कि चेढक में जिगस्यत समी स्रत्यो हारा प्रमाव रखा गया है।कि जाम पंचायत सरस्वती जार के अन्तर्गत निमीका बोड ब्लाम शहिक्त वाया केह्राल बनना अस्तिकि जिसके ही पंचायत का कोर भी धेरराज भी उम्म को वननी नाजिन है ताकिलींगा भोडे की श्विद्या आपत है। सेने। — अस्तिष्ठ पान्ही स्वीक्तर ही

